Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सलूम्बर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, दुकानदार से निरीक्षण के नाम पर साल में दो बार रिश्वत की मांग।

जयपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई उदयपुर द्वारा आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए **घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर** को परिवादी से 10,000/- रुपये नकद रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. कार्यालय उदयपुर को दिनांक 10.07.2026 को परिवादी द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि उसकी ग्राम डगार स्थित पुश्तैनी किराणा दुकान एवं गौण कृषि उपज मण्डी, सलूम्बर स्थित कोका–कोला कोल्ड ड्रिंक एजेन्सी पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी द्वारा निरीक्षण एवं सैम्पल लेने के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है तथा जुर्माना लगाने, प्रकरण दर्ज करने एवं जेल भिजवाने की धमकी देकर साल में दो बार 10,000–10,000/- रुपये रिश्वत राशि देने की मांग की गई रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।

दिनांक 09.06.2026 को आरोपी अपनी टीम के साथ परिवादी की ग्राम डगार स्थित किराणा दुकान पर पहुंचा तथा निरीक्षण के दौरान घी मिल्कफूड के चार पैकेट सैम्पल के रूप में साथ ले गया एवं नोटिस जारी किया। इसके बाद आरोपी द्वारा परिवादी को दुकान एवं एजेन्सी शान्तिपूर्वक संचालित करने के लिए दोनों स्थानों के 20,000–20,000/- रुपये साल में दो बार देने की मांग की गई तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर प्रकरण बनाकर जेल भिजवाने की धमकी दी गई।

शिकायत के संबंध में मांग सत्यापन के दौरान आरोपी घनश्याम सिंह सोलंकी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग किए जाने की पुष्टि हुई तथा आरोपी ने अपने सरकारी अनुबन्धित वाहन में परिवादी से डगार स्थित दुकान के 10,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर लिये तथा गौण कृषि उपज मण्डी, सलूम्बर स्थित एजेन्सी के 10,000/- रुपये बाद में प्राप्त करना तय किया।

मांग की पुष्टि के उपरांत ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के पर्यवेक्षण एवं **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त कुमार** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री रामसुमेर मीणा** मय ट्रैप टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को उसके कार्यालय परिसर में परिवादी से 10,000/– रुपये नकद रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के पर्यवेक्षण में आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।